उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-14

संख्या- 154/2025/आई/1122589/2025/001-23-14002(099)/9/2025

लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

शुद्धि-पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ग्रामीण श्रेणी मार्ग हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-151/2025/आई/1113056/2025/001-23-14002(099)/9/2025, दिनांक 13.10.2025 द्वारा विभिन्न जनपदों के कुल 19 चालू कार्यों हेतु कुल रु0 99.34 लाख की धनावंटन सम्बन्धी स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 13.10.2025 में तालिका के क्रमांक-16 पर अंकित 01 कार्य हेतु कुल रु0 4.11 लाख की स्वीकृति त्रुटिवश निर्गत की गयी है। उक्त कार्य हेतु सम्पूर्ण धनराशि शासनादेश संख्या-133/2025/आई/1079322/2025/001-23-14002(003)/22/2025-5, दिनांक 04.09.2025 द्वारा पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है। अतएव शासनादेश दिनांक 13.10.2025 द्वारा जनपद शामली के उक्त 01 कार्य हेतु निर्गत धनावंटन सम्बन्धी स्वीकृति निरस्त समझी जाय। शासनादेश दिनांक 13.10.2025 का शेष अंश यथावत रहेगा।

रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी. लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलोटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1). लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन ।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in